

समाज

स्वरूप प्रदान किया है। समाज गत्यात्मक होता है। यह विकासशील एवं परिवर्तनशील हुआ करता है। समाज में स्थिरता का आना समाज की अवनति है। समाज को एक प्रकार का समुदाय कहा गया है। समुदाय शब्द का प्रयोग समाजशास्त्री विशिष्ट अर्थ में करता है। कुक के शब्दों में, "एक भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत मानवीय सम्बन्धों का एक निश्चित रूप, अर्थात् व्यक्ति, संस्कृति एवं भूमि का समन्वित रूप समुदाय है।" जिस समुदाय के सदस्य अपनी जीवन पद्धति के प्रति जाग्रत हो जाते हैं और वे सामान्य उद्देश्यों और आदर्शों से प्रेरित होकर एकता की ओर अग्रसर होते हैं वह समुदाय समाज का रूप ग्रहण कर लेता है।

समाज में या समुदाय में सदस्यों की संख्या का विशेष महत्त्व नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्ति समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज में राजनैतिक एवं आर्थिक तत्त्व बड़े प्रभावशाली होते हैं। इन तत्त्वों का समाज के रहन-सहन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। धर्म एवं जनता की राय भी प्रभावशाली तत्त्व है। इन सभी तत्त्वों से समाज की संस्कृति का निर्माण होता है।

समाज का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Society)

एक संगठित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र 'सामाजिक जीवन' का ही अध्ययन करता है और सामाजिक जीवन समाज की परिधि में ही फलीभूत होता है अर्थात् समाजशास्त्र समाज एवं समाज के विविध आयामों का ही वैज्ञानिक विश्लेषण है, इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की विभिन्न बुनियादी अवधारणाओं में 'समाज' की अवधारणा का केन्द्रीय स्थान होना स्वाभाविक है।

समाज का अस्तित्व तो काफी प्राचीन समय से है, लेकिन समाज की अवधारणात्मक विश्लेषण की शुरुआत आधुनिक काल में हुई। 16वीं से 18वीं सदी के कुछ समझौतावादी विचारकों ने मत प्रकट किया कि समाज मनुष्यों के आपसी समझौते का प्रतिफल है, जिसकी रचना मनुष्य ने या तो अव्यवस्था की समाप्ति अथवा प्रकृति के नियमों से मुक्ति पाने के लिए की, समाज की यह व्याख्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण नहीं है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज की अवधारणात्मक व्याख्या में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि समाज क्यों और कैसे बनते हैं तथा अस्तित्व में रहते हैं, इस दृष्टिकोण से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज की जो परिभाषाएँ दी हैं, वे इस प्रकार हैं—

आर०एम० मैकाइवर एवं सी०एच० पेज (R.M. MacIver and C.H. Page) ने कहा है—
"समाज अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा अनेक विभाजनों, मानव व्यवहार के नियन्त्रणों और स्वतन्त्रताओं से प्रथाओं तथा कार्य-विधियों की प्रणाली है, यह सामाजिक सम्बन्धों का जाल है, जो सतत परिवर्तनशील और जटिल है।"

मोरिस गिन्सबर्ग (Morris Ginsberg) का कहना है कि "समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ सम्बन्धों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित हैं तथा उन व्यक्तियों से भिन्न हैं जो इस प्रकार के सम्बन्धों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं।"

गिडिंग्स (Giddings) के शब्दों में— "समाज स्वयं संगठन है, औपचारिक सम्बन्धों का भाग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए या सम्बद्ध हैं।"

ई०बी० र्यूटर (E.B. Reuter) का कथन है— "समाज एक अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों की सम्पूर्णता का बोध कराती है।"

जॉर्ज सिमेल (George Simmel) ने माना है— "समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अन्तःक्रिया द्वारा सम्बन्धित हैं।"

के० डेविस (K.Davis) ने समाज की परिभाषा में कुछ नवीनता लाते हुए कहा है— "यह ध्यान रखने योग्य है कि केवल सामाजिक सम्बन्ध का ढेर ही समाज नहीं होता जब सामाजिक सम्बन्धों की एक

शिक्षा तथा समाज में सम्बन्ध (Relation between Education and Society)

समाज और शिक्षा एक-दूसरे से जुड़े हैं। स्वाभाविक है कि ये एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। के समाज पर तथा समाज के शिक्षा पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। दोनों के प्रभाव को समझने के लिए तथा समाज को अलग-अलग करके दोनों के एक-दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना आवश्यक है।

समाज का शिक्षा पर प्रभाव (Impact of Society on Education)

- (1) भौगोलिक स्थिति (Geographical Condition)—वाढ़, तूफान, महामारी।
 - (i) अनुकूल परिस्थितियाँ—शिक्षा के लिए समय पर्याप्त मात्रा में।
 - (ii) प्रतिकूल परिस्थितियाँ—शिक्षा के लिए कोई समय नहीं।
- (2) सामाजिक ढाँचा (Social Structure)—
 - (i) जाति प्रथा—किसी विशेष वर्ग के लिए शिक्षा।
 - (ii) जाति प्रथा नहीं—सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा।
- (3) संस्कृति (Culture)—

(i) धर्म	(ii) साहित्य
(iii) भाषा	(iv) दर्शन
(v) रहने का ढंग	(vi) व्यवहार के प्रतिमान

उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रम के निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते हैं। कोई भी पाठ्यक्रम समाज चल रहे धर्म, साहित्य, भाषा, दर्शन, रहने का ढंग तथा व्यवहार के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है।

(4) धार्मिक स्थिति (Religious Condition)

- (i) एक धर्म (Single Religion)—समाज में एक धर्म के लोग होंगे तो केवल उसी धर्म-विश्वा के वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- (ii) अनेक धर्म (Multi Religion)—सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान शिक्षा।

(5) राजनैतिक स्थिति (Political Condition)

- (i) निरंकुश (Autocratic)—समाज में राजनैतिक स्थिति या ढाँचा निरंकुश है तो एक विशेष वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी।
- (ii) लोकतान्त्रिक (Democratic)—सभी वर्गों के लिये शिक्षा की व्यवस्था।

(6) आर्थिक स्थिति (Economical Condition)

- (i) विकसित देशों में (Developed Countries)—सभी के लिए समान शिक्षा।
- (ii) विकासशील देशों में (Developing Countries)—वर्ग-विशेषों के लिए उनके वर्गों और घर के अनुसार शिक्षा।
- (iii) अविकसित देशों में (Backward Countries)—शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं।

शिक्षा का समाज पर प्रभाव (Impact of Education on Society)

- (1) नई खोज या आविष्कारों के द्वारा भौगोलिक परिस्थितियों (वाढ़, तूफान, महामारी) पर नियन्त्रण।
- (2) आर्थिक विकास, नये व्यवसायों या उद्योगों के माध्यम से।
- (3) शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियन्त्रण व सुधार।
- (4) शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन।

- (5) सामाजिक
- (6) सांस्कृतिक
- (7) धार्मिक

समाज

- (5) सामाजिक भावनाओं का विकास।
- (6) सांस्कृतिक विकास।
- (7) धार्मिक परिवर्तन।




Diagram Showing Process of Social Change by Education

लिंग, विद्यालय और समाज में परस्पर सम्बन्ध
(Mutual Relationship of Gender, School and Society)

पाठशाला, समाज और परिवार (परिवार के माता-पिता) के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध होना चाहिए इसे सभी शिक्षाशास्त्री, शिक्षक विद्यार्थियों के संरक्षक तथा समाज व संस्कृति के नेता भली-भाँति जानते हैं। यह प्रसंग बहुत विस्तृत है। लेकिन हम संक्षेप में इसके प्रमुख विश्लेषणात्मक पक्षों को, जो मूलतः समाजशास्त्रीय प्रकृति के हैं, को इस अध्याय में प्रस्तुत करेंगे।

सुप्रसिद्ध ब्रिटिश शिक्षा समाजशास्त्री जीन फ्लाउड का यह महत्वपूर्ण कथन है—“पाठशाला और घर के बीच का सम्बन्ध बालक की शिक्षा सम्भावना की कुंजी होती है।”

“The relationship between school and home is the key to the educability of the child.”

अर्थात् यदि एक पाठशाला और एक विद्यार्थी के घर (परिवार) के साथ उत्तम सम्बन्ध कायम है वा बनाया जाता है, तो उससे उस विद्यार्थी की शिक्षा सम्भावनाओं के बढ़ने और उच्चस्तरीय होने की समस्या हल हो जाती है।

- (I) भारतीय समाज में स्थिति—हमारे देश में निम्नांकित स्थितियाँ देखने में आती हैं—
- अधिकतर भारतीय माता-पिता अपने पुत्र-पुत्री का पाठशाला जाने से कतराते हैं, विशेषकर निम्न वर्ग के लोग जिनकी संख्या भारत में 75% है वे वहाँ जाने से डरते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि वे

आशंका रखते हैं कि वहाँ के शिक्षक/शिक्षिकाएँ उनकी सन्तानों की शिक्षा प्रगति के बारे में प्रायः कुछ-न-कुछ शिकायतें अवश्य करेंगे और उनमें से कोई उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव डालेंगे कि वे अपने सन्तानों/विद्यार्थियों को उस/उन शिक्षक से दृष्टान पढ़ाएँ। प्रायः अधिकांश शिक्षकों का ऐसा खैया ही हमारे देश में है।

- प्रायः सभी नर्सरी स्कूलों में और पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिलवाने में आज बहुत कठिनाई और शब्दाचार फैल गया है। ऐसी सरकारी पाठशालाओं के प्रबन्धक/प्रशासक माता-पिताओं का साक्षात्कार लेते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति, हितसंबन्धित जानने का भरसक प्रयास करते हैं और उनके हजारों, लाखों रुपये डोनेशन या रिश्वत में खुलेआम माँगते हैं। अतः ऐसे माता-पिताओं और उन शालाओं के मध्य 'प्रेम और घृणा' (Love and Hate Relationship) का सम्बन्ध होता है। मजबूरी में सभी माता-पिताओं के लालची अनेतिक शोषक विद्यालयों के मालिकों और प्रबन्धकों से शोषित होना ही पड़ता है। मजबूरी में ही वे P.T.A. (Parent Teacher Association) की मीटिंगों में माँग लेने जाते हैं।
- पाठशालाओं के शिक्षक/शिक्षिकाएँ विद्यार्थियों के घर/परिवार में कभी-कभी नहीं जाते—विशेषकर नगरों और कस्बों में। समयमात्र और जल्दी घर लौटने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप ऐसा न करने। गांधी जी का कहना था कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के घरों पर प्रायः जाना चाहिए और बुनियादी शालाओं के शिक्षकों के लिए ऐसा नियमित तौर से करना आवश्यक माना जाता है। परन्तु अब यह प्रथा लुप्त हो गयी है।
- अधिकतर निजी और तथाकथित 'पब्लिक स्कूल' बार-बार विद्यार्थियों को बाध्य करते हैं कि अपने घरों से पैसा लाएँ—कई बहानों से—पिकनिक, प्रदर्शनी दिखाने, दूर पर जाने, स्कूल सहायता करने आदि के नाम से। प्रायः सभी माता-पिता उनकी निरन्तर माँग से दुःखी ही होते हैं। अतः वे वेचन से, मजबूरी में, पैसा भेजते रहते हैं। सभी पब्लिक स्कूलों में यह प्रचलन है कि अपने जन्म-दिवस पर प्रत्येक विद्यार्थी को पाठशाला में वाँटने के लिए टॉफी, मिठाई, पेन/पेन्सिल/स्व आदि को ले जाने की अनिवार्य रस्म निभानी पड़ती है। 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस न केवल दिवाली पर विद्यार्थियों को बेन-केन प्रकारण बाध्य किया जाता है कि वे अपने कक्षा अध्यापक व विषय शिक्षकों के लिए कोई उपहार लेकर अवश्य जाएँ। माता-पिता शिक्षकों को प्रसन्न करने में रखने हेतु ऐसा भी करने के लिए बाध्य होते हैं।

पश्चिमी देशों में ऐसी अवांछनीय प्रवृत्तियाँ नहीं होतीं। वहाँ शिक्षकों में पाठशाला जाकर अपने सन्तानों की शिक्षा प्रगति को जानने की इच्छा और लगन होती है। उनमें शिक्षक किसी भी प्रकार का लोभ या भयजनित व्यवहार नहीं करते और उनके प्रयासों का स्वागत करते हैं।

(II) समाज में पाठशाला की भूमिका—गांधी जी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथन था—“एक बुनियादी पाठशाला को समुदाय में अहिंसात्मक क्रान्ति लाने हेतु भाले की नोक बनना चाहिए।”

“A basic school should be the spearhead of a non-violent resolution in the community.”

अतः शिक्षकों से यह आशा नहीं अपितु अनिवार्य माँग की जाती थी कि वे ग्रामीण व स्थानीय समुदाय में जाएँ, वहाँ के नेताओं व सभी स्तरों के लोगों से मिलें और उनकी जीवन-समस्याओं को हल करने में अपना अधिकतम योगदान दें—यह योगदान केवल सलाह देने का या मौखिक नहीं है बल्कि यह श्रमदान व नागरिकों का विविध क्रियाओं में भागीदारी बने, सहयोग प्रदान करें। यह अत्यन्त आदर्श व उपयोगी विचार था। दुर्भाग्यवश अब यह हवा हो गया है। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षक वर्ग भी व्यक्तिवादी, धनलोलुप और स्वाधी हो गया है। निःस्वार्थ सेवा करने का भाव लुप्त हो गया है।

(III) पाठशाला और समाज का परस्पर सम्बन्ध—इन दोनों के बीच सम्बन्ध को इस प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है—

- (1) खुले दरवाजे वाला सम्बन्ध (Open Door Relationship)—इसमें पाठशाला अपने गेट/दरवाजे सदा खुले रखते हैं ताकि समुदाय के लोग अथवा उनके प्रधान पाठशाला में चिन्ता किसी बाधा, संकोच वा घबराहट के आ सकें। ऐसा बहुत कम देखने में आता है।
- (2) बन्द दरवाजे का सम्बन्ध (Close Door Relationship)—इसमें पाठशाला अपने गेट/दरवाजे सदा या अधिकतर बन्द ही रखता है, उस पर भीतर से ताला लगाकर रखता है ताकि समाज के लोग उसके भीतर न आ सकें, बहुत प्रयास करने और पाठशाला के प्रधान की स्वीकृति पाने ही से भीतर जा सकते हैं। पाठशाला के प्रशासक यह कतई नहीं चाहते कि समाज व राजनीति के कोई भी प्रभाव बाहरी हस्तक्षेप के रूप में पाठशाला में घुसें। अंग्रेजों के काल में सभी पाठशालाओं में ऐसा था। आजकल प्रायः सभी कन्या विद्यालयों में ऐसा ही है।
- (3) खुलने/बन्द होने वाले दरवाजे का सम्बन्ध (Swinging Door Relationship)—जैसे अफसर के कक्ष और उसकी स्टेनो टाइपिस्ट या सेक्रेटरी के कक्ष के बीच में और डॉक्टर और नर्स के कक्ष के बीच सुगमतापूर्वक खुलता हुआ आधा दरवाजा होता है, वैसे ही सम्बन्ध एक पाठशाला और बाह्य समाज के बीच हो सकता है। प्रजातन्त्र के आधुनिक युग में ऐसा सम्बन्ध प्रचलित हो गया है, क्योंकि कोई भी प्रधानाचार्य व शिक्षक अब किसी भी नेता और प्रभावशाली उन्मादी या हस्तक्षेप करने को लालायित उच्च अधिकारी व समाज के गणमान्य सरपंच, पंच, धनिक को पाठशाला में घुसने से रोक नहीं सकता। अन्यथा कुछ ही दर में घेराव, हड़ताल, मार-पीट, विधानसभा अथवा लोकसभा में या दूरदर्शन पर यह हंगामे के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(IV) स्थानीय समाज पाठशाला के लिए क्या कर सकता है?—स्थानीय समाज पाठशाला को बहुत कुछ योगदान कर सकता है—

- धन, सामग्री की सहायता और उसको विकासोन्मुख ले जाना।
- शिक्षकों और विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव।
- पाठशाला को नैतिक सहाय।
- पाठशाला के कार्यक्रमों में भाग लेकर उसकी मनोबल वृद्धि।
- पाठशाला के नये विचार, आदर्श, मूल्य, समाजीकरण के प्रभाव।
- शिक्षकों को ठहरने-रहने की सुविधा।
- विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाना।
- पाठशाला के कर्मचारियों की कमजोरियों, बुरी आदतों, न पढ़ाने की प्रवृत्ति को रोकना।

(V) पाठशाला समाज के लिए कैसे योगदान दे सकती है?

- पाठशाला विद्यार्थियों के माध्यम से उनके माता-पिता व समुदाय को मूल्यों, दृष्टिकोणों, प्रेरणा, ज्ञान आदि के द्वारा प्रभावित कर सकती है।
- समुदाय में नागरिकता के गुण, मूल्यों व ज्ञान को प्रसारित कर सकती है।
- समुदाय के जीवन को सांस्कृतिक और नैतिक रूप से...